मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015

आर्थिक रूप से कमजोर व अल्प आय वर्ग के लिए

मुख्यमंत्री
जन आवास योजना–2015
EWS एवं LIG हाउसिंग पर केंद्रित

लबाना होम्स

एक सुन्दर घर का सपना
अब घर होगा अपना...

1 & 2 BHK
अपार्टमेंट

एन.एच. 8 से 500 मीटर, नजदीक जापानी होटल हीरोहामा, नीमराना

मूल्य – 200/-

राज्य सरकार की
मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015
के अन्तर्गत फ्लैट लेने के लाभ

1. फ्लैट खरीदने के लिए एक साथ पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लाभार्थी को बैंक से ऋण (फाइनेन्स) की सुविधा उपलब्ध है।
2. उक्त योजना के फ्लैटों में प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के अन्तर्गत ब्याज सब्सिडी (6,00,000/– रूपये तक के लोन पर) आपके लोन खाते में नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा सीधे जमा की जायेगी।
3. उक्त योजना के फ्लैट खरीदने से आपके धन, समय व श्रम की बचत होती है। आपको निर्माण के लिये संसाधन जुटाने की आवश्यकता नहीं होती है।
4. विकासकर्ता/फर्म द्वारा निर्मित फ्लैटों का डिजाइन अनुभवी वास्तुकारों द्वारा बनाया जाता है, तथा निर्माण अनुभवी अभियन्ताओं की देखरेख में कराया जाता है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाओं, जरूरतों एवं वातावरण का ध्यान रखा जाता है।
5. विकासकर्ता/फर्म के फ्लैट महंगी प्राइम लोकेशन में होने के बावजूद उक्त योजना में सस्ते उपलब्ध कराये जाते हैं।
6. उक्त योजना में फ्लैट खरीदने पर राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में रियायत दिया जाना प्रस्तावित है।
7. उक्त योजना में फ्लैट खरीद पर सर्विस टैक्स से पूर्णतया छूट दी जाने पर प्रावधान सरकार द्वारा प्रस्तावित है।

VASUNDHARA RAJE

CHIEF MINISTER RAJASTHAN

Message

Right to adequate housing is a basic human right. The Government of Rajasthan accords high priority to the housing sector in general and for economically weaker sections and low income group families in particular. To achieve the goal of '**Affordable Housing for All**' and integrated habitat development we in Rajasthan need to ensure equitable supply of land, shelter and services at prices affordable by all.

To fulfill the basic need of shelter, a new policy has been framed as **Chief Minister's Jan Awas Yojana-2015.** This policy has been prepared after thorough review of the existing policy and the shortcomings identified have been plugged after extensive stakeholder consultations. In this policy, initiatives taken by the Government of India to provide 'Housing for All', have also been incorporated to provide for possible incentives to the beneficiaries.

It is expected that the provisions made in the policy would attract private investment for construction of quality and affordable houses for economically weak and low income groups of the society.

I am confident that the Chief Minister's Jan Awas Yojana, prepared by Urban Development and Housing Department will be successfully implemented to achieve the goal of affordable and quality houses for all.

(Vasundhara Raje)

RAJPAL SINGH SHEKHAWAT

सत्यमेव जयते

Minister
Department of Urban Development
Housing & Local Self Government
Government of Rajasthan
Jaipur (Rajasthan)

MESSAGE

I am happy that the Chief Minister's Jan Awas Yojana – 2015 is being launched to realize the dream of home for poor. To achieve the goal of Housing for All, we need to ensure supply of land and infrastructure facilities at affordable price. The new policy prepared by Department of Urban Development and Housing has a number of provisions to attract private investment in EWS/LIG housing. The department undertook a detailed exercise of understanding the scenario of housing shortage in the State and has suggested various measures to create housing stock for EWS/LIG segment of the society. The incentives extended to developers would help in controlling the sale price to be in the affordable limits.

The policy aims to motivate various agencies like Housing Board, Development Authorities, Improvement Trusts and Urban Local Bodies besides private developers to take up construction of affordable Housing for EWS/LIG categories in various urban centres of Rajasthan. Various provisions of the policy will not only help in creat ng housing stock but would provide for quality houses and better living environment to EWS/LIG segment of the society at affordable prices.

I am confident that all the stakeholders will make positive efforts in successful implementation of this policy so as to fulfill the ambition of the urban poor to have a shelter of their own.

(Rajpal Singh Shekhawat)

आवेदन क्रमांक ....

लबाना होम्स

अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट

Labana Developers LLP

LLP Identification no. AAE-8547

आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के पंजीकरण एवं आवंटन हेतु सामान्य नियम व शर्तें

राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना

–ः मुख्य बिन्दु ः–

1. जिस आय वर्ग के लिये आवेदन किया जा रहा है उसके अनुसार पंजीयन की पूर्ण राशि का बैंकर चैक / डी.डी. जो कि **Labana Developers LLP** के पक्ष में नीमराना स्थित किसी भी बैंक में देय हो –

(क) आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है। ☐

(ख) यदि आवेदन पत्र बैंक में जमा कराया गया हो तो चालान की प्रति संलग्न कर दी गई है। ☐

2. आय का प्रमाण पत्र / शपथ पत्र संलग्न कर दिया है। ☐
3. आवेदन पत्र मे मांगी गई सभी सूचनाऐं पूर्ण रूप से भर दी गई हैं। ☐
4. प्रत्येक की पहचान के लिये आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / ड्राईविंग लाईसेन्स / पेन कार्ड इत्यादी की प्रति लगा दी गई है। ☐
5. यह योजना मुख्यमंत्री जन आवास योजना – 2015 के अन्तर्गत है। अतः सभी नियम व शर्तें उक्त योजना के लागू होंगें। ☐
6. ब्याज सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक/हुडको द्वारा ऋणी के ऋण खाते में सीधे जमा की जायेगी। ☐
7. बैंक स्टेटमेन्ट ☐
8. फोटो – 4 ☐

पात्रता और शर्तें

1. आवेदक की आयु आवेदन की तिथि को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
2. आवेदक के पास स्वयं के पत्नी/पति के और आश्रित सदस्य (अविवाहित बच्चों सहित) के नाम राजस्थान के किसी भी शहरी क्षेत्र में मकान या प्लॉट ना हो जिसका शपथ पत्र आवेदन के साथ देना होगा।
3. किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिये अथवा आवेदक कम से कम पिछले एक वर्ष से राजस्थान में निवास कर रहा हो।
5. राजस्थान राज्य से बाहर के नागरिक जो गत एक वर्ष से अधिक समय से राजस्थान में निवास कर रहे हो, वे भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन लॉटरी में राजस्थान राज्य के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी।
6. वेतनभोगी आवेदकों को अपने नियोक्ता द्वारा प्रमाणित आय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा व गैर वेतनभोगी (स्व–रोजगार) आवेदकों को तहसीलदार/म्युनिसिपल ऑफिसर/एसडीओ अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा स्व–सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निवास के पते का प्रमाण यथा पैन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेज में से स्व–हस्ताक्षरित/ सत्यापित दस्तावेज की प्रति संलग्न करनी होगी।
8. आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दिये गये पते पर ही पत्र व्यवहार किया जावेगा।
9. आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटाने या उसके ऊपर काटकर दुबारा लिखना निषेधित है। अतः आवेदनकर्ताओं को परामर्श है कि आवेदन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरतें।
10. वार्षिक आय (पति/पत्नी/आश्रितों की आय) के आधार पर आवंटन हेतु पंजीकरण के लिए पात्रता एवं आय नीचे दी गयी तालिका में दर्शायी गयी है।
11. शारीरिक रूप से विकलांग व वरिष्ठ आवेदकों को आवास में आरक्षण में प्राथमिकता दी जायेगी।
12. पात्रता की शर्त पूरा करने पर पति/पत्नी दोनों अलग–अलग इन शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं कि दोनों के सफल होने पर एक को ही फ्लैट का आवंटन किया जावेगा।

विवरण

क्रम संख्या	भवन के प्रकार	भवन का आकार	भवन की कीमत	पंजीयन राशि
1.	ई.डब्ल्यू.एस.	350 वर्गफीट	7,00,000	7,000
2.	एल.आई.जी.	550 वर्गफीट	11,00,000	11,000

योजना विवरण

1. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 3A के तहत निम्न आय वर्ग के लिए फ्लैटस के आवंटन हेतु आवेदन पत्र।
2. इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाले आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1,50,000/– (अक्षरे रूपये एक लाख पचास हजार मात्र) रूपये तक होने पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु एवं आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये तीन लाख मात्र) तक होने पर अल्प आय वर्ग (LIG) के आवासों के लिये आवेदन किया जा सकता है।
3. केन्द्र सरकार द्वारा रू. 6,00,000/– रूपये तक के ऋण पर 6.5 प्रतिशत की दर से आधारित ब्याज पर सब्सिडी स्वीकृत होने पर केन्द्र सरकार द्वारा आपके ऋण खाते में सीधे अग्रिम जमा की जायेगी।

आवेदन कैसे करें –

1. आवेदन पत्र में आवेदक अपना नाम (जैसे बैंक खाते में हो) बैंक खाता संख्या (पूर्ण अंकों सहित) तथा (IFS Code) बैंक का नाम मय शाखा के पूर्ण विवरण सहित उल्लेख करें। इसके अभाव में असफल आवेदक की पंजीकरण राशि उसके खाते में वापस आने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की नहीं होगी।
2. बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट के पीछे आवेदक का नाम, आवेदन पत्र एवं स्वयं का मोबाईल नं. आवश्यक रूप में अंकित करें।
3. पंजीकरण राशि LABANA DEVELOPERS LLP के पक्ष में बैंकर्स चैक/डी.डी. द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र जमा केन्द्र पर फार्म के साथ जमा करानी होगी।
4. कम्पनी द्वारा समस्त भुगतान डी.डी./बैंकर चैक/चैक के माध्यम से स्वीकार किये जावेंगे।
5. आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए जो इस योजना के अन्तर्गत फ्लैट लेना चाहता है (जिन मामलों में आवेदक अशक्त है, ऐसे मामलों में आवेदक अपने संरक्षक के माध्यम से आवेदन कर सकता/सकती है) आवेदक को आवेदन पत्र में किसी विवरण को काटने/मिटाने अथवा इस पर दोबारा (ओवरराईटिंग) लिखने की अनुमति नहीं है। ऐसा होने पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को विकासकर्ता द्वारा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. किसी भी सशर्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्रों को आवेदक को बिना कोई कारण बताए सीधे ही अस्वीकार कर दिया जायेगा।

आवंटन का परिणाम

1. सफल आवेदकों का चयन हेतु लॉटरी द्वारा किया जायेगा।
2. सफल आवेदकों की सूची कार्यालय के मुख्य सूचना पटल पर भी देखी जा सकती है।
3. ड्रा का परिणाम वेबसाईट www.labanahousing.org पर भी देखा जा सकता है।
4. सफल आवंटियों को आवंटन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे तथा ड्रा का परिणाम देखने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
5. सफल आवंटन की स्थिति में आवेदक को फ्लैट की कुल कीमत का शेष 10 प्रतिशत अगले 30 दिवस के अंदर पूर्ण प्रमाण पत्रों के साथ जमा कराना होगा अन्यथा उनका आवंटन निरस्त करके पंजीयन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।
6. असफल आवेदकों को उनकी पंजीयन राशि लॉटरी के पश्चात् 45 कार्य दिवस के भीतर बिना किसी ब्याज के बैंक खाते में लौटा दी जाएगी।
7. रिफण्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज – आवेदक का स्वयं का बैंक खाता संख्या एवं आई.डी. प्रूफ होना आवश्यक है।
8. जिस खाते से पंजीकरण राशि का चैक या डी.डी. दिया गया है उसका स्टेटमेन्ट या पासबुक की फोटो कॉपी आवश्यक है।
9. यदि आवेदक लॉटरी में नाम आने के बाद रिफण्ड कराता है तो आवेदन शुल्क में 50% कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

लोन एवं सब्सिडी के प्रावधान

1. फ्लैट लेने वाले आवंटी पात्रता के आधार पर वित्तीय संस्थाओं से ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस बाबत विकासकर्ता/फर्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किये जावेंगे।

2. भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशानुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लाभार्थी को बैंक से ऋण प्राप्ति पर 15 वर्षों की अवधि के लिए अथवा ऋण अवधि के दौरान, इसमें जो भी कम हो, के लिए ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे।

3. फ्लैट खरीद पर सर्विस टैक्स से पूर्णतया छूट।

4. फ्लैट के विक्रय पत्र के पंजीयन पर ई.डब्ल्यू.एस. आवास हेतु वर्तमान में 50/– रूपये प्रति फ्लैट व एल.आई.जी. आवास हेतु 100/– रूपये प्रति फ्लैट स्टाम्प ड्यूटी देय है, जो कि समय–समय पर प्रचलित सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार देय होगी।

5. EWS/LIG के व्यक्तियों को दिये जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि रू. 6,00,000/– (छह लाख रूपये) पर ही ब्याज अनुदान देय होगा। रू. 6,00,000/– (छह लाख रूपये) से अधिक की ऋण राशि अनुदान रहित होगी अर्थात् रू. 6,00,000/– (छह लाख रूपये) से अधिक का ऋण गैर सब्सिडी दर पर मिलेगा। ऋण अनुदान की गणना NPV (Net Present Value) के आधार पर होगी।

6. आर्थिक दृष्टि से कमजोर/अल्प आय वर्ग के सफल आवेदकों को अनुदान बैंकों के माध्यम से भारत सरकार की प्रधानमंत्री योजना की CLSS (Credit Link Subsidy Scheme) योजना के अन्तर्गत अधिकतम रूपये 6,00,000/– (छह लाख रूपये) की राशि अनुदानित ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो सकेगा।

7. ऋण आधारित सब्सिडी ऋणदाताओं के संस्थानों के माध्यम से लाभार्थी के खाते में अग्रिम रूप से जमा होगी, जिससे प्रभावी आवास ऋण और समान मासिक किस्त (ई.एम.आई.) में कमी आएगी।

8. आवंटी द्वारा ऋण की सुविधा प्राप्त नहीं करने की स्थिति में स्वयं के स्त्रोतों से फ्लैट की सम्पूर्ण देय राशि विकासकर्ता/फर्म द्वारा जारी मांग पत्र में वर्णित तिथि से पूर्व जमा करानी होगी। सब्सिडी केन्द्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है जिसके लिए विकासकर्ता / फर्म का कोई दायित्व नहीं है एवं आवंटी भारत सरकार की योजना का लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

9. ऋण आधारित सब्सिडी सीधे ऋणी के खाते में केन्द्र सरकार द्वारा प्रेषित की जायेगी।

10. बैंक की शर्तों के अनुसार ही ऋण मिल सकता है।

11. फ्लैट की खरीद पर कोई भी गुप्त शुल्क नहीं।

12. पंजीकरण राशि को बैंकर चैक या डी.डी. के माध्यम से मैसर्स लबाना डवलपर्स एल एल पी के नाम से बनाया जाये।

13. योजना के सम्बन्धित कोई भी न्यायिक विवाद नीमराना के अंतर्गत ही मान्य होगा।

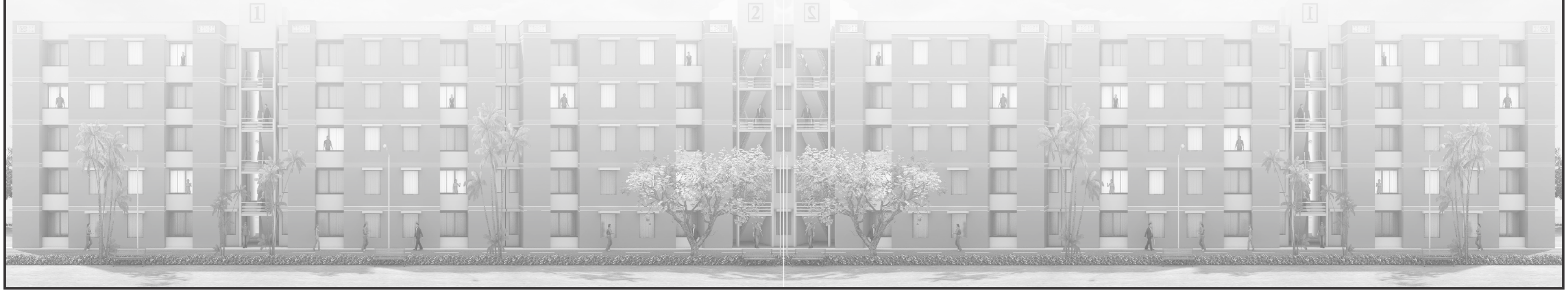

वेतन भोगी	गैर वेतनभोगी / स्व नियोजित
★ तीन महीने की वेतन पर्ची ★ नियुक्ति पत्र ★ पिछले दो साल की आईटीआर/फार्म 16 ★ छह महीने के बैंक स्टेटमेन्ट ★ पैन कार्ड / आईडी प्रूफ / आधार कार्ड ★ पते का सबूत ★ दो फोटो ★ एक रद्द चैक	★ दो साल कंप्यूटेशन आईटीआर ★ लाभ और हानि वक्तव्यों ★ छह महीने की बैंक स्टेटमेंट बचत खाता और चालू खाता ★ व्यापार सबूत (कोई भी पंजीकरण या अन्य दस्तावेज) ★ पैन कार्ड ★ केवाईसी दस्तावेज (मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग, लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट) ★ पते का सबूत ★ दो फोटो ★ एक रद्द चैक

भुगतान की प्रक्रिया

आवंटन के पश्चात् फ्लैट की कीमत की भुगतान प्रक्रिया निम्न चरणों के अनुरूप होगी –

क्र.सं.	निर्माण चरण	भुगतान प्रतिशत में	भुगतान की राशि रू. में
1.	आवंटन के 30 दिवस में (पूर्व राशि रू. 11,000/– को समायोजित करते हुये)	10%	
2.	प्लिन्थ का कार्य पूर्ण होने पर	10%	
3.	भूतल की छत डलने पर	10%	
4.	प्रथम तल की छत डलने पर	10%	
5.	द्वितीय तल की छत डलने पर	10%	
6.	तृतीय तल की छत डलने पर	10%	
7.	चतुर्थ तल की छत डलने पर	10%	
8.	चुनाई का कार्य प्रारम्भ होने पर	10%	
9.	प्लास्टर का कार्य प्रारम्भ होने पर	10%	
9.	फर्श का कार्य शुरू होने पर	5%	
10.	कब्जा दिये जाने के समय	5%	
11.	रख रखाव हेतु प्रतिभूति राशि कब्जा दिये जाने के पश्चात् रख–रखाव की राशि विकासकर्ता अथवा RWH के द्वारा निर्धारित की जावेगी, जो कि आवंटी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।		

अन्य महत्वपूर्ण शर्तें

1. फ्लैट 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किए जावेंगे।

2. आवंटी को विक्रय–विलेख के पंजीयन का खर्च स्वयं वहन करना होगा तथा उसके पश्चात् ही फ्लैट का भौतिक कब्जा विकासकर्ता द्वारा दिया जावेगा।

3. फ्लैट के कब्जा प्राप्त करने के एक वर्ष की अवधि में निवास करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दूसरे आवेदक को आवंटन कर दिया जावेगा।

4. आवंटी द्वारा गलत जानकारी दिये जाने पर उसे भारत सरकार से ब्याज में छूट का पुर्नःभरण नहीं होने के लिये विकासकर्ता जिम्मेदार नहीं होगा।

5. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज बैंक के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बैंक को प्रस्तुत किये जावेंगे। जिसके तहत अधिकतम 6 लाख रूपये पर 6.5 प्रतिशत ब्याज राशि प्रार्थी के बैंक खाते में सीधे ही प्राप्त की जा सकेगी।

6. ब्याज में छूट के पुर्नःभरण हेतु बैंक द्वारा भारत सरकार की बैंक को प्रकरण प्रस्तुत किया जावेगा। वहाँ से स्वीकृति मिलने के पश्चात पुर्नःभरण की राशि आवंटी के लोन/ऋण खाते में बैंक द्वारा सीधे ही जमा कर दी जावेगी।

7. इस प्रकार फ्लैट की कुल कीमत में ब्याज पुर्नःभरण राशि की छूट प्रार्थी को सीधे ही प्रधानमंत्री जनआवास योजना के तहत प्राप्त होगी। यह राशि बैंक व भारत सरकार के निर्णय के आधार पर स्वीकृत होगी।

8. इसके लिए विकासकर्ता पूरा प्रयास करेगा, किन्तु इसकी राशि प्राप्त होने में देरी अथवा प्राप्त नहीं होने के लिए विकासकर्ता किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। राज्य/भारत सरकार के समय–समय पर प्रचलित नियम आवंटी पर लागू रहेंगे। यदि कोई आवंटी अपना फ्लैट निरस्त कराना चाहता है तो उसे लिखित में आवेदन करना होगा व उसकी जमा राशि का पूर्ण भुगतान (रिफण्ड) उस फ्लैट के अन्य आवंटी को आवंटन होने के पश्चात उससे प्राप्त होने वाली राशि में से ही दी जायेगी।

9. आवंटी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किये जाने पर उसे विलम्ब अवधि की बकाया राशि पर नियमानुसार ब्याज लिया जावेगा।

10. आवंटी द्वारा लगातार दो किस्तों के भुगतान नहीं किये जाने पर विकासकर्ता निरस्तीकरण हेतु आवंटी को 15 दिवस का नोटिस देकर उसका आवंटन निरस्त कर सकेगा। उसकी जमा राशि का पूर्ण भुगतान (रिफण्ड) उस फ्लैट के अन्य आवंटी को आवंटित होने के पश्चात उससे प्राप्त होने वाली राशि में से ही दिया जावेगा।

11. बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के लिए आवेदन फार्म भरते समय महिला का नाम अथवा महिला एवं पुरूष दोनों का संयुक्त नाम होने की प्राथमिकता है।

12. 10 प्रतिशत राशि जमा होने के पश्चात ही आवंटन पत्र जारी किया जावेगा।

13. लॉटरी निकालने की तिथि व समय की जानकारी का वेबसाईट पर अंकन कर दिया जावेगा।

शपथ – पत्र (1)

सभी आवेदकों के लिए

मैं..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....
जाति ....हाल निवास.......................................तहसील......................जिला.......................................
में निवास करता / करती हूँ।

1. राज्य सरकार की ''मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015'' के अन्तर्गत **लबाना डवलपर्स एलएलपी** की आवासीय परियोजना को भलिभांति जानकर, पढ़ कर मेरे द्वारा आवेदन पत्र .... आय वर्ग आवास जी+4 बहुमंजिला आवास हेतु भेजा जा रहा है। मैं शपथ पत्र के माध्यम से स्वीकार करता / करती हूँ कि :–

2. पारदर्शिता के आधार पर कम्पनी **लबाना डवलपर्स एलएलपी** द्वारा निकाली गई लॉटरी में योजना के किसी भी तल पर जो आवास मुझे आवंटित होगा, वह मुझे स्वीकार्य होगा।

3. मेरे / हमारे द्वारा पंजीकरण पुस्तिका में दी गई समस्त शर्तों का पालन किया जायेगा।

4. मेरे/हमारे द्वारा पंजीकरण पुस्तिका में आवास आवंटित होने पर विभिन्न चरणों में देय राशि उचित समय पर मेरे द्वारा अदा की जायेगी।

5. मेरे/हमारे द्वारा आवास आवंटन के मद में जमा करवाई गई राशि का उपयोग संबंधित बैंक शाखा एवं विकासकर्ता के मध्य हुए समझौता पत्र की शर्तों के अधीन किया जा सकेगा, इसके लिए बैंक द्वारा मेरे/हमारे से पूर्व स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

6. मैं/हम यह स्वीकार करते है कि मेरे/हमारे को बैंक ऋण नही लेने अथवा मिलने पर मेरे/हमारे द्वारा समस्त राशि की समय–समय पर व्यवस्था कर ली जावेगी।

7. मैं/हम स्वीकार करते हैं कि चूंकि प्रस्तावित आवासीय योजना चयनित भूमि पर, राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत सस्ती दरों में आवास आवंटित किये जाते हैं जिसके लिए बैंक एवं विकासकर्ता के मध्य समझौता पत्र हस्ताक्षरित होना है चूंकि इस समझौता पत्र के तहत विकासकर्ता को दी जाने वाली आवास निर्माण की लागत समझौता शर्तों के अनुसार निश्चित समयावधि में दी जानी है, जो कि मेरे/हमारे संबंधित बैंक शाखा खाता से ली जाकर विकासकर्ता को अदा की जावेगी। इस पूर्ण प्रक्रिया में मेरे/हमारे बैंक खाता को संबंधित बैंक द्वारा एग्रीमेन्ट की शर्त के अधीन उपयोग में लाये जाने पर मुझे/हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी और ना ही संबंधित बैंक से किसी प्रकार के अतिरिक्त क्लेम की मांग की जावेगी

8. अगर आवश्यकतानुसार संबंधित बैंक शाखा द्वारा मेरे/हमारे द्वारा लिखित हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित शपथ–पत्र को एग्रीमेन्ट का भाग बनाया जाता है तो मुझे/हमें किसी भी प्रकार की आपति नहीं होगी।

9. मेरे/ हमारे द्वारा अगर बैंक से ऋण राशि प्राप्त की जाती है तो उसके विरुद्ध मेरे / हमारे आवास का प्रोविजनल आवंटन / आरक्षण / मूल आवंटन पत्र बैंक के पास गिरवी रखा जाता है, तो उसमें हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

10. यह कि मैने पंजीकरण, 2016 में...आय वर्ग में आवास हेतु आवेदन – पत्र संख्या .... के द्वारा आवेदन किया है।

11. यह कि मेरे द्वारा आवास आवंटन से सम्बन्धित योजना के नियमों का अध्ययन कर लिया गया है एवं मेरे फ्लैट आवंटन करने के आवेदन मात्र से मुझे फ्लैट प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

12. यह कि उक्त आवेदन – पत्र के तहत पंजीकरण होने के पश्चात् कम्पनी द्वारा समय–समय पर आवास से सम्बन्धित मांग, मेरे द्वारा निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवायी जाती है तो कम्पनी को बिना सूचना दिये पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

13. यह है कि मेरे स्वयं की गलती के कारण कम्पनी द्वारा उक्त पंजीकरण / आवंटन निरस्त किया जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

(नोटराईड सत्यापन)

(शपथ पत्र 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

शपथ – पत्र (2)

सभी आवेदकों के लिए

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....

सशपथ प्रमाण करता / करती हूँ कि–

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ एवं राजस्थान का/की मूल निवासी हूँ।
2. मेरे स्वयं अथवा मेरी पत्नी/पति या मुझ पर आश्रित संबंधी के पास राजस्थान में फ्री होल्ड अथवा लीज होल्ड किसी भी प्रकार का पूर्ण या आंशित फ्लैट/भूखण्ड नहीं है।
3. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं **लबाना डवलपर्स एलएलपी**, गुड़गांव (हरियाणा) द्वारा समय–समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूँ तो कम्पनी बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।
4. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात कम्पनी के संज्ञान में आती है तो आवेदन पत्र/आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए कम्पनी स्वतंत्र होगा।
5. यह कि मेरे द्वारा .... स्थित कम्पनी की .... योजना में भी आवेदन किया गया है यदि उक्त योजना में भी मुझे आरक्षित कर लिया जाता है तो मैं किसी भी एक योजना में ही आरक्षण की पात्रता रखुंगा तथा दूसरी योजना का रिफण्ड स्वतः ही प्राप्त कर लूंगा।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ....

निवासी .... सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता / करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 5 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथग्रहिता हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा

(नोटराईड सत्यापन)

(शपथ पत्र 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

गैर वेतन भोगी आवेदकों के लिए आय प्रमाण – पत्र हेतु शपथ – पत्र (3)

मैं..पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री .... आयु .... वर्ष, जाति ....निवासी.. ....सशपथ बयान करता / करती हूँ :–

1. कि मेरे परिवार की वर्ष 2015–2016 में वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से निम्न प्रकार थी :–
   अ. स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि, दुकान या अन्य स्त्रोतों से वार्षिक आय ....रूपये थी।
   ब. मेरे पति/पत्नी, अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार, उद्योग, एजेन्सी दुकान अथवा कृषि एवं अन्य स्त्रोतों से वार्षिक आय .... रूपये थी।
   स. कि वित्तीय वर्ष 2015–2016 में परिवार की कुल आमदनी .... रूपये थी।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता/ निशानी अंगूठा

<u>सत्यापन</u>

मै...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री... निवासी..सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता / करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार सत्य है तथा मैंने कोई तथ्य छिपाया नहीं है।ईश्वर मेरा सहायक है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता / निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 50/- रूपये के नॉन जयूडिशियल स्टाम्प पेपर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

ए.स.डी.ओ. / तहसीलदार /नोटरी
सत्यापित

वेतन भोगी आवेदकों के लिए
आय प्रमाण – पत्र (3)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती ....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ....इस विभाग / उपक्रम / कम्पनी / संस्था (विभाग / संस्था का नाम) में .... (पद का नाम) पद पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र सरकार / राजस्थान सरकार / राजस्थान सरकार के उपक्रम / प्राईवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी है। इनकी सकल वार्षिक आय वित्तिय वर्ष 2015–16 मे .... रूपये है।

विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
एस.डी.ओ./तहसीलदार/विभाग/उपक्रम/कम्पनी/संस्था का नाम

लबाना होम्स

अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट

LOCATION MAP

एन.एच. 8 से 500 मीटर, नजदीक जापानी होटल हीरोहामा, नीमराना

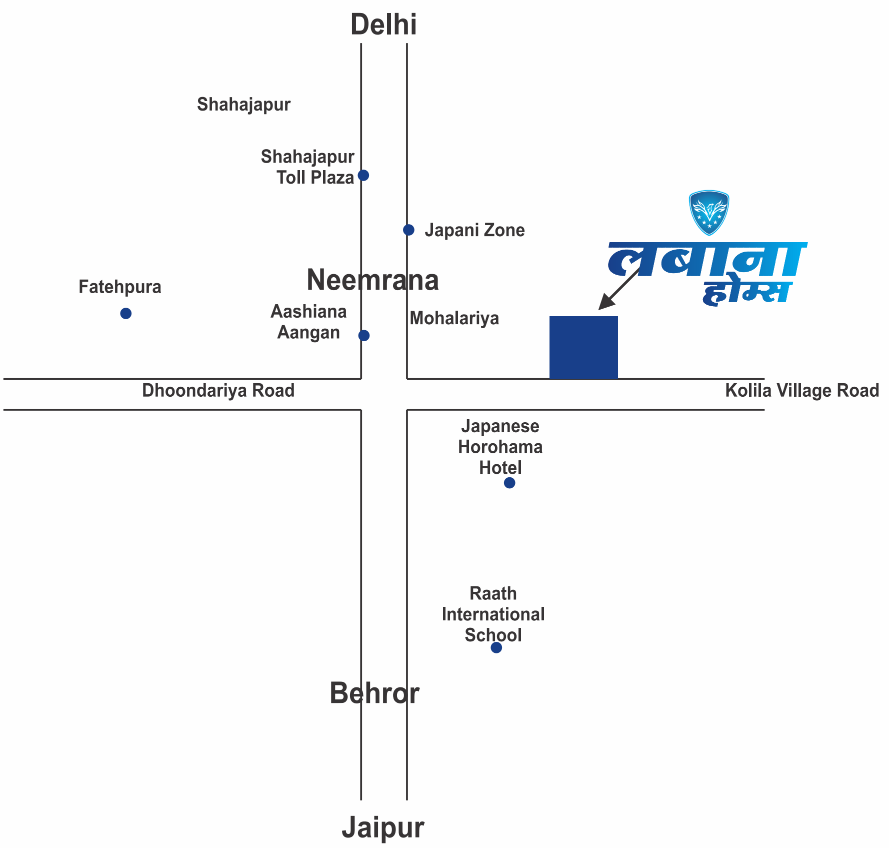

Map Not To Scale

बच्चों के लिए पार्क

सामुदायिक केन्द्र

डिपार्टमेंटल/ डिस्पेंसरी/मेडिकल स्टोर
(के लिए स्थान)

एस.टी.पी. प्लांट

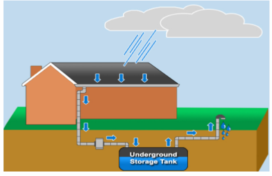

रेन वॉटर हारवेस्टिंग सिस्टम

लिफ्ट

ओवरहेड पेयजल वाटर टैंक

विद्युत आपूर्ति

स्वच्छ व हरित वातावरण

एन.एच. 8 से 500 मीटर, नजदीक जापानी होटल हीरोहामा, नीमराना

लबाना डवलपर्स एलएलपी

हैड ऑफिस: 18–ए, सैकण्ड फ्लोर, एम.जी.एफ. मेगासिटी मॉल,
एम.जी. रोड. गुड़गांव – 122002 (हरियाणा)

सम्पर्क: **72300 22031, 72300 22032**

Email: mail@labanahousing.org | sales@labanahousing.org
For More Details Visit **www.labanahousing.org**

आवेदन क्रमांक

लबाना डवलपर्स एलएलपी

नीमराना ऑफिसः एन.एच. 8 से 500 मीटर, नजदीक जापानी होटल हीरोहामा, नीमराना

मुख्यमंत्री जन आवास योजना - 2015

आवेदन पत्र

आवेदक का फोटो	संयुक्त आवेदक का फोटो

प्रोजेक्ट व शहर का नामः लबाना होम्स

(अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट)

एन.एच. 8 से 500 मीटर, नजदीक जापानी होटल हीरोहामा, नीमराना

1. आवेदक/आवेदिका का नाम (अंग्रेजी में) ....

आवेदक / आवेदिका का नाम (हिन्दी में) ....

पिता /पति का नाम ....

जन्म तिथि .... राष्ट्रीयता .... मोबाईल नं. ....

पत्र व्यवहार का पता ....

....पिनकोड नं. ....

स्थायी पता ....

.... पिनकोड नं. ....

आधारकार्ड संख्या / भामाशाह कार्ड / युनिक पहचान -पत्र संख्या / पैन कार्ड / मतदाता परिचय पत्र / ड्राइविंग लाइसेन्स संख्या ....

2. संयुक्त आवेदक/आवेदिका का नाम (अंग्रेजी में) ....

संयुक्त आवेदक /आवेदिका नाम (हिन्दी में) ....

पिता /पति का नाम ....

जन्म तिथि .... राष्ट्रीयता .... मोबाईल नं. ....

आधारकार्ड संख्या / भामाशाह कार्ड / युनिक पहचान -पत्र संख्या / पैन कार्ड / मतदाता परिचय पत्र / ड्राइविंग लाइसेन्स संख्या ....

3. व्यवसाय का स्वरूप ....

4. आवेदक / आवेदिका की कुल वार्षिक आय (वित्तिय वर्ष 2014-2015)

   1. स्वयं की ....
   2. पति / पत्नि की ....
   3. आश्रित की ....
   4. अन्य स्त्रोतों की ....

   कुल आय ....

5. पंजीकरण हेतु मकान की श्रेणी (✓) अंकित करें EWS ☐ LIG ☐

6. जमा कराई गई राशि के बैंक का नाम .... शाखा ....

(अथवा)

राशि निम्न पते पर भी जमा करवाई जा सकती हैं। ....

राशि .... ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक ....

बैंक का नाम .... शाखा ....

7. आवेदक के बचत खाता संख्या ....बैंक का नाम ....

शहर का नाम ....बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड ....

(जमा राशि लौटाने के प्रयोजन हेतु सूचना आवश्यक हैं)

8. सत्यनिष्ठा कथन (घोषणा)

क. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोतम ज्ञान में सही है ओर कुछ भी छुपाया नही गया हैं।

ख. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता /करती हूँ कि मैंने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये आवंटन के अनुबन्धों एवं शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ लिया तथा समझ लिया है ओर मैं उनका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ।

ग. मेरा या मेरे आश्रित का शहर क्षेत्र जिसमें आवंटन के लिए आवेदन कर रहा / रही हूँ में पूर्णतया अथवा भाग रूप में फ्री होल्ड या पट्टे के आधार पर प्लॉट या आवास नहीं है।

घ. मेरी मृत्यु होने की दशा में निम्नलिखित व्यक्तियों को उत्तराधिकारी के नाम क्रम में निर्देशित करता / करती हूँ :-

क्र.सं. नाम आयु सम्बन्ध

प्रथम ....

द्वितीय ....

9. आवेदन - पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित करें : -

(क) पंजिकरण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट (ख) आय प्रमाण - पत्र

(ग) आवेदक का पहचान सम्बन्धी (राशन कार्ड/ ड्राईविंग लाइसेंस / पैनकार्ड / भामाशाह कार्ड / आधार कार्ड एवं अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र) (घ) मूल निवास प्रमाण - पत्र (च) अन्य प्रमाण-पत्र जो आपकी वर्ग (श्रेणी) के लिए आवश्यक हो।

दिनांक हस्ताक्षर आवेदक

सत्यापित

(नोटेरी पब्लिक / राजपत्रित अधिकारी) नाम ....

मुहर के साथ पूर्णपता...

....

लबाना डवलपर्स एलएलपी

आवेदन क्रमांक ....

कम्पनी द्वारा भरने हेतु

वरीयता संख्या .... दिनांक ....

संलग्न दस्तावेज की सूचि : -

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.

हस्ताक्षर
आवेदन प्राप्तकर्ता

हस्ताक्षर
आवेदन निरीक्षक

आवेदन क्रमांक ....

आवेदन नं.

लबाना डवलपर्स एलएलपी

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015

(प्रथम प्रति)

(यह प्रति बैंक/कम्पनी द्वारा रख ली जायेगी)

शहर का नाम : **नीमराना**

आय वर्ग: ....

1. आवेदक/आवेदिका का नाम..

....

2. पत्र व्यवहार का पता..

....

3. बैंक डी.डी. / बैकर चैक नं...

बैंक का नाम...

दिनांक..

4. पंजीकरण राशि अंकों में...

शब्दों में...

....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान -

उपरोक्त रकम प्राप्त की..

खजांची / लेखाकार

आवेदन नं.

लबाना डवलपर्स एलएलपी

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015

(द्वितीय प्रति)

(यह प्रति बैंक द्वारा कम्पनी को देय हेतु)

शहर का नाम : **नीमराना**

आय वर्ग: ....

1. आवेदक/आवेदिका का नाम..

....

2. पत्र व्यवहार का पता..

....

3. बैंक डी.डी. / बैकर चैक नं...

बैंक का नाम...

दिनांक..

4. पंजीकरण राशि अंकों में...

शब्दों में...

....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान -

उपरोक्त रकम प्राप्त की..

खजांची / लेखाकार

आवेदन नं.

लबाना डवलपर्स एलएलपी

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015

(तृतीय प्रति)

(यह प्रति बैंक द्वारा कम्पनी के आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करने हेतु)

शहर का नाम : **नीमराना**

आय वर्ग: ....

1. आवेदक/आवेदिका का नाम..

....

2. पत्र व्यवहार का पता..

....

3. बैंक डी.डी. / बैकर चैक नं...

बैंक का नाम...

दिनांक..

4. पंजीकरण राशि अंकों में...

शब्दों में...

....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान -

उपरोक्त रकम प्राप्त की..

खजांची / लेखाकार

आवेदन नं.

लबाना डवलपर्स एलएलपी

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015

(चतुर्थ प्रति)

(यह प्रति बैंक/कम्पनी द्वारा प्रार्थी को देने हेतु)

शहर का नाम : **नीमराना**

आय वर्ग: ....

1. आवेदक/आवेदिका का नाम..

....

2. पत्र व्यवहार का पता..

....

3. बैंक डी.डी. / बैकर चैक नं...

बैंक का नाम...

दिनांक..

4. पंजीकरण राशि अंकों में...

शब्दों में...

....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान -

उपरोक्त रकम प्राप्त की..

खजांची / लेखाकार